न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 765 / 2019

1 मनप्रीत सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुखविन्द्र सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसीलसादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 लाभ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 परमजीत कौर पत्नी लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 19.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 7 बी एन डब्लयू जमाबदी समवत 2070–2073 खाता संख्या 62/61 प.न. 27/131 मु.न. 64 कि. न. 21ता 25 में 1.265 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.632 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 7 बी एन डब्लयू जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 63/35 प.न. 25/124 मु.न. 16 कि.न. 17,22 ता 24 में 0.671 है. नहरी मय खाला, प.न. 25/125 मु.न. 17 कि.न. 1 ता 4,6/2 ता 9 में 1.846 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला, प.न. 25/129 मु.न. 40 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 25/130 मु.न. 49 कि.न. 1 ता 10,14,15 में 3.036 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 9.348 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.674 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 8 बी एन डब्लयू जमाबदी समवत 2071–2074 खाता संख्या 63/33 प.न. 24/125 मु.न. 2 कि.न. 5/2,6,7/2,8/2,9/2,10/2, 11ता 15,18 ता 23 में 3.642 है. नहरी मय खाला कुल खाता 3.642 है. नहरी मय खाला आराजी मे से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.821 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुयी है एव वादाधीन आराजी विरासतन भूमि है जो कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दू विधि से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान का सहदायिकी सम्पति मे जन्म से ही कानूनन हिस्सा बनता है, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में कानूनन हक हिस्सा रखते है , जो कि वादीगण एव प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 7 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 63/35 में दर्ज 4.674 है. आराजी मे से वादी संख्या 1 को 1.265 है. व वादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 2 को चक 8 बी एन डब्लयू में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.821 हे. आराजी मे से 1.265 हे. आराजी प्राप्त हुयी है एव शेष प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुयी है एवं इसी अनूसारवादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त मुताबिक बंटवारानूसार आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारणवादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण पारिवारिक शांति भंग होती है, इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त मुताबिक बंटवारा में आयी आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 7 बी एन डब्लयू जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 63/35 प.न. 25/124 मु.न. 16 कि.न. 17,22 ता 24 में 0.671 है. नहरी मय खाला, प. न. 25/125 मु.न. 17 कि.न. 1 ता 4,6/2 ता 9 में 1.846 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला, प.न. 25/129 मु.न. 40 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 25/130 मु.न. 49 कि.न. 1 ता 10,14,15 में 3.036 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 9.348 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.674 है. आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.265 है. व वादी संख्या 2 को 1.265 हे. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एव प्रतिवादी संख्या 2 ने काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि चक 8 बी एन डब्लयू जमाबदी समवत 2071–2074 खाता संख्या 63/33 प. न. 24/125 मु.न. 2 कि.न. 5/2,6,7/2,8/2,9/2,10/2, 11ता 15,18 ता 23 में 3. 642 है. नहरी मय खाला कुल खाता 3.642 है. नहरी मय खाला आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.821 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लैम डिक्री किये का जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा भी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के पास अन्य खातों में आराजी है जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादी ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने दावा व प्रतिदावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण व काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (क) चक 7 बी एन डब्लयू जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 63/35 प.न. 25/124 मु.न. 16 कि.न. 17,22 ता 24 में 0.671 है. नहरी मय खाला, प. न. 25/125 मु.न. 17 कि.न. 1 ता 4,6/2 ता 9 में 1.846 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला, प.न. 25/129 मु.न. 40 कि.न. 11 ता 25 में 3.795 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 25/130 मु.न. 49 कि.न. 1 ता 10,14,15 में 3.036 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 9.348 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.674 है. आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.265 है. व वादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) चक 8 बी एन डब्लयू जमाबदी समवत 2071–2074 खाता संख्या 63/33 प.न. 24/125 मु.न. 2 कि.न. 5/2,6,7/2,8/2,9/2,10/2, 11ता 15,18 ता 23 में 3.642 है. नहरी मय खाला कुल खाता 3.642 है. नहरी मय खाला आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.821 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्त खातो से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 765 / 2019

1 मनप्रीत सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुखविन्द्र सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसीलसादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 लाभ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 परमजीत कौर पत्नी लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहांग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– (क) चक 7 बी एन डब्लयू जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 63 / 35 प.न. 25 / 124 मु.न. 16 कि.न. 17,22 ता 24 में 0.671 है. नहरी मय खाला, प.न. 25 / 125 मु.न. 17 कि.न. 1 ता 4,6 / 2 ता 9 में 1. 846 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला, प.न. 25 / 129 मु.न. 40 कि.न. 11 ता 25 में 3. 795 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 25 / 130 मु.न. 49 कि.न. 1 ता 10,14,15 में 3. 036 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, कुल खाता 9.348 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.674 है. आराजी में से वादी संख्या 1 को 1.265 है. व वादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ख) चक 8 बी एन डब्लयू जमाबदी समवत 2071–2074 खाता संख्या 63 / 33 प.न. 24 / 125 मु.न. 2 कि.न. 5 / 2,6,7 / 2,8 / 2,9 / 2,10 / 2, 11ता 15,18 ता 23 में 3. 642 है. नहरी मय खाला कुल खाता 3.642 है. नहरी मय खाला आराजी मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.821 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 1.265 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता ळें उक्त खातो से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.12.05 17:32:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: